1/8/17

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F.3(20)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 479 Dated: 31/7/17

Notification No.18/2017 -State Tax (Rate)

No.F3(20)/Fin(Rev-I)/2017-18/-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, Finance Department (Revenue-I), No.1/2017 – State Tax, dated the 30th June, 2017 published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part-IV, vide No.F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382 dated 30th June, 2017 namely :-

2. In the said notification,-

(i) in Schedule I – 2.5%, after serial number 182 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"182A	3102	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
182B	3103	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
182C	3104	Mineral or chemical fertilisers, potassic, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
182D	3105	Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg; other than those which are clearly not to be used as fertilizers";

SC(GST)
E-555229
08/08/2017

(ii) in Schedule II – 6%, serial numbers 66, 67, 68 and 69 and the entries relating thereto shall be omitted.

1193/SC/GST
08/8/17

3. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

1841/ACTT/VI/GST
09/08/17

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

(A.K. Singh)
Dy. Secretary VI (Finance)

No.F.3(20)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/479 Dated: 31/7/17

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
5. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
10. Guard File.

(A.K. Singh)
Dy. Secretary VI (Finance)

[दिल्ली राजपत्र, भाग 4, असाधारण में प्रकाशनार्थ]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्त (राजस्व-1) विभाग

दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110002

सं0फा0 03(20) /वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/ 479 दिनांक: 31/7/17

अधिसूचना सं. 18/2017- राज्य कर (दर)

सं0फा0 03(20)/वित्त(राज0-1)/2017-18/--- उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (दिल्ली अधिनियम 2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त विभाग (राजस्व –1) की अधिसूचना सं. 1/2017- राज्य कर, तारीख 30 जून, 2017, जो कि दिल्ली राजपत्र, भाग 4, असाधारण में सं0फा0 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस–VI/382 द्वारा दिनांक 30.06.2017 को प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

2. उक्त अधिसूचना में,--

(i) अनुसूची I - 2.5% में क्रम सं. 182 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)
"182क	3102	खनिज या रसायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
182ख	3103	खनिज या रसायनिक उर्वरक, फास्फेटी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
182ग	3104	खनिज या रसायनिक उर्वरक, पोटाशी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
182घ	3105	खनिज या रसायनिक उर्वरक, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम में से दो या तीन उर्वरक तत्व अंतर्विष्ट हैं ; अन्य उर्वरक ; इस अध्याय के माल, टिकियों या वैसे ही रूपों में या पैकेजों में, जिनका सकल भार 10 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है ";

(ii) अनुसूची II - 6% में क्रम सं. 66, 67, 68 और 69 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(ए0 के0 सिंह)
उप-सचिव -VI (वित्त)

सं0फा0 03(20) /वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/ 478 दिनांक: 31/7/17

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
7. नि.स. नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।

(ए0 के0 सिंह)
उप-सचिव -VI (वित्त)